



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 19 फरवरी, 2024

माघ 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या 397/36-03-2024-17(सा०)-2023

लखनऊ, 19 फरवरी, 2024

अधिसूचना

प०आ०-46

कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-647/36-03-2022-17 (सा०)/2022 दिनांक 27 मई, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,-

एक- क्रम संख्या-7, 9 और 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"7- सायं 07:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के मध्य कार्य समय के दौरान, कारखानों के परिसर या विभाग में तीन महिला कर्मचारों से कम नहीं नियोजित किया जाएगा।

9- नियोजक रात्रि पाली के दौरान लगे हुए महिला कर्मचारों के विवरण के संबंध में संबंधित क्षेत्र के कारखानों के निरीक्षक को इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा रूप से मासिक रिपोर्ट प्रेषित करेगा और लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी घटना की स्पष्ट रिपोर्ट भी निरीक्षक को प्रेषित करेगा।

13- जहां किसी कारखाने का नियोजक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का अतिक्रमण करता है, नियोजक को अतिक्रमण की पहचान करते हुए एक नोटिस जारी किया जायेगा और नियोजक को इस नोटिस का अनुपालन करने के लिए सात दिवस का समय देते हुए उक्त नोटिस में पहचाने गये अतिक्रमणों को ठीक करने के लिये कदम उठाने का निर्देश दिया जाएगा।"

दो-विद्यमान क्रम संख्या-13 के पश्चात्, निम्नलिखित नवीन क्रम संख्या 14 बड़ा दी जायेगी, अर्थात्:-
"14- कारखाना परिसर के रात्रि पाली में महिला कर्मकारों के लिये उपयोग किये जाने वाले परिवहन में सीसीटीवी कैमरे संस्थापित किये जाएंगे। रात्रि पाली में महिला कर्मकारों के लिए उपयोग किये जाने वाले परिवहन भी जीपीएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से पता लगाया जायेगा।"

आज्ञा से,
अनिल कुमार III,
प्रमुख सचिव।